

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 300 सन 2020

अनवान :-

1. हरिराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. जोतराम पुत्र गुलाबाराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
3. चिमनाराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
4. बलराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
5. साहबराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
6. हरदेवी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. बनारसी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. सुन्दर देवी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 191/266 की कुल 25.8240 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 189/191 की कुल 3.4400 हैक् में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 170/173 की कुल 5.8930 हैक् में से 1/27 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो

वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के
उपस्थित अधिकारी
नोहर

खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गुलाबाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 191/266 की कुल 25.8240 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 189/191 की कुल 3.4400 हैक् में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 170/173 की कुल 5.8930 हैक् में से 1/27 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुलाबाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की जाति सहज राजस्व रिकार्ड में सुनार दर्ज हुई है के स्थान पर मेधवाल संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 191/266 की कुल 25.8240 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 189/191 की कुल 3.4400 हैक् में से 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 170/173 की कुल 5.8930 हैक् में से 1/27 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उपस्थित अधिकारी
बोहर

भू0प्रबन्ध विभाग की जगावन्दी सम्वत 2029 से 2038 के अनुसार वाद भूमि गुलावाराम पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गुलावाराम पुत्र बस्ती के नाम से दर्ज है वादी के दादा गुलावाराम पुत्र बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 स्वय उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज की किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 191/266 की कुल 25.8240हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 189/191 की कुल 3.4400हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार कारतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेधसिहपुरा खाता संख्या 170/173 की कुल 5.8930हैक् में से 1/27 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी एवं सहवन राजस्व रिकार्ड में जाती सुनार दर्ज हुई है के स्थान पर मेघवाल संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पत्रा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाया दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरीराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 जोतराम पुत्र गुलाबाराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
3. चिमनाराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
4. बलराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
5. साहबराम पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
6. हरदेवी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. बनारसी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. सुन्दर देवी पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जेरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 200 सन 2020 निर्णय दिनांक- 26/08/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 191/266 की कुल 25.8240 हेक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 189/191 की कुल 3.4400 हेक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मेधसिहपुरा खाता संख्या 170/173 की कुल 5.8930 हेक् में से 1/27 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी एवं सहवन राजस्व रिकार्ड में जाती सुनार दर्ज हुई है के स्थान पर मेधवाल संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)